

26.06.2024 पत्रावली पेश हुई।

साधकका उग्रपक्ष इमामिया पत्रावली का अवलोकन किया, अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी नरेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 09.11.2011 को एक प्रार्थना-पत्र पेश कर विवेक किया कि न्यायालय राजा में उक्त विपरीत प्रार्थना के संबंध में प्रेष (प्रार्थी) आगे पत्रों का कोई उपाय नहीं है इस उक्त को आगे चलाना नहीं चाहता हूँ अतः इस पत्रावली में संबंधित व्यक्तियों को जरूरी विवेक खारिज प्रमाणों अतः पत्रावली के अवलोकन से तथा पत्रावली में मौजूद प्रार्थना-पत्रों से स्पष्ट है कि प्रार्थी इस उक्त को आगे नहीं चलाना चाहता है

अतः प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.11.2011 द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र के आधार पर पत्रावली जारी किंहीं इसी स्तर पर खारिज की जाती है।
पत्रावली फैलप शुभार वेडर सम्बर से कम की जाकर साखिल दफ्तार है।

(Yh)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर